सिविल कोर्ट, पाकुड ।

पाकुड़ जिला में, व्यवहार न्यायालय के अनुसेवक, प्रोसेस सर्वर नाईट गार्ड (चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों), एवं चालक के कुल 18 पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जातें हैं तथा उक्त पदों में आदर्श आरक्षण रोस्टर झारखण्ड राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।

उक्त पदों में व्यवहार न्यायालय के 18 रिक्त पदों की कोटि निम्रवत है:–

क स.	पद	रिक्त पदों की कोटिवार संख्या	अर्हता
01	02	03	04
1	अनुसेवक	10 (05 सामान्य वर्ग तथा 05 अ. ज.जा.)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए (झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक 06/एस0–04 (के0पू0)– 04/2011 1859/वी, राँची दिनाक 02.09.2011, ज्ञापांक बी0 01/विधि – स्था0 81/2011–2011–2326/जे0 राँची दिनाक 19.09.2011 विधि न्याय विभाग , झारखण्ड सरकार, राँची के अनुसार) हिन्दी ,अंग्रेजी, पढ़ने लिखने एवं समझने एवं पुकार करने तथा साईकिल चलाने की योग्यता (धोबी, बढ़ई , बिजली मिस्त्री , रसोईया, गाड़ी चलाने आदि की विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी)।
2	प्रोसेस सर्वर	06 (सामान्य 03 तथा अ.ज.जा. 02 एवं अ.पि. व. 01)	तथैव
3	नाईट गार्ड	1(सामान्य)	तथैव
4	चालक	1	(झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अधिसुचना संख्या 07/वि0वि0सं0–03–05/2006 का0 742 , राँची दिनाक 15.02.2007 के अनुसार, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए वाहन चालन का वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त रहना आवश्यक होगा,यातायात विनियमन की अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा,वाहन की सामान्य मरम्मती की जानकारी रहना आवश्यक होगा,

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड इराँची के संकल्प ज्ञापांक 2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्र प्रकार निर्धारित की गई है। (उम्र की संगणना दिनांक 01.04.2015 से की जायेगी)

क.सं0	आरक्षण विवरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विकलांगो के लिए
(क)	अनारक्षित	18 वर्ष	35 वर्ष	40 वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	18 वर्ष	37 वर्ष	42 वर्ष
(ग)	महिला(अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	18 वर्ष	38 वर्ष	43 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	18 वर्ष	40 वर्ष	45 वर्ष

आरक्षित वर्ग के आवेदक को आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण का लाभ झारखण्ड सरकार के तहत नियमानुसार केवल झारखण्ड राज्य के निवासियों को दिया जायेगा।

आवेदन की सेवा शर्तें व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट रूल्स) एवं झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित सेवा नियमावली के अनुसार लागू होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के लिए संक्षम उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

विहित प्रपत्र में आवेदन, निबंधित डाक द्वारा कार्य दिवस में दिनांक 07.09.2015 (पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक) के अंदर आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन, के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, आरक्षंण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं एक स्व पता लिखित लिफाफा (21 X 12 सेंटीमीटर तथा 30 रू0 का डाक टिकट के साथ) अवश्य संलग्न करें। आवेदन में अपनी दो फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, आवेदन पत्र में विहित स्थान पर चिपकायें ।

उम्मीदवार अपना आवेदन प्रशासनिक विभाग, व्यवहार न्यायालय, पाकुड़ झारखण्ड के कार्यालय में जमा कर सकते हैं तथा निबंधित डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। (विज्ञापन सम्बंधी जानकारी व्यवहार न्यायालय, पाकुड़ के Website – http://ecourts.gov.in/pakur पर भी देखी जा सकती है)।

निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने का पता:– सेवा में,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, पाकुड़।
पिन:–816107 (झारखण्ड)

पाकुड़ जिला व्यवहार न्यायालय व परिवार न्यायालय के लिए चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु विहित आवेदन–पत्र

आवेदन–प्रपत्र

सेवा में,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पाकुड़।

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

1. पद नाम : ....

2. आवेदक का नाम : ....

3. पिता/पति का नाम : ....

4. जन्म तिथि : ....

01.04.2015 को उम्र : वर्ष .... महीना .... दिन ....

5. आरक्षण का विवरण : ....

यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग या अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्य है, यदि हॉं तो जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करे।

6. कोटि : ....

7. स्थायी पता : ग्राम– .... डाकघर– ....

थाना– .... जिला– .... राज्य– .... पिन– ....

8. वर्तमान पता : ग्राम– .... डाकघर– ....

थाना– .... जिला– .... राज्य– .... पिन–..................

9. पत्राचार का पता ग्राम– .... डाकघर– ....

थाना– .... जिला– .... राज्य– .... पिन–..................

फोन नं0– .... E-Mail ID (यदि हो,तो)

....

10. शैक्षणिक योग्यता : ....

11. क्या किसी आपराधिक मामले में सजा हुई/लंबित है/रिहाई हुई यदि लागू हो तो विवरण दे। : ....

12. साईकिल चलाने का अनुभव हॉं/नही : ....

13 अन्य योग्यता (यदि कोई हो, तो) : ....

उद्घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूॅं कि आवेदन में वर्णित सभी तंथ्य सही है यदि कोई तथ्य/जानकारी असत्य पायी जाय तथा मेरी पात्रता/चयन बिना नोटिस दिये रद्द किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान :–   आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :–

संलग्न प्रमाण–पत्रो की सूची :

<u>पाकुड़ व्यवहार न्यायालय के लिए चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद हेतु आयोजित साक्षात्कार का प्रवेश पत्र</u>

(केवल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

पसपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटो चिपकायें

आवेदक का नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ग्राम– .... डाकघर– ....

थाना– .... जिला– .... राज्य– .... पिन– ....

कमांक : ....

साक्षात्कार की तिथि : ....

समय एवं स्थान : ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता/प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, पाकुड़।

डुप्लिकेट साक्षात्कार पत्र

पाकुड व्यवहार न्यायालय के लिए चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित डुप्लिकेट साक्षात्कार–पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :	पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें
आवेदक का नाम :	
पिता/पति का नाम :	
कमांक :	

आरक्षण की कोटि :..

साक्षात्कार की तिथि एवं समम : ....

स्थान : व्यवहार न्यायालय, पाकुड़।

नोटः– आवेदक साक्षात्कार के समय अपने सभी मूल शैक्षणिक/आवासीय/जाति/विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ एवं निर्धारित स्थान पर स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका कर उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त विवरण आवेदक स्वयं भरेंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता/प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, पाकुड़।

साक्षात्कार पत्र प्राप्त नही होने पर डुप्लिकेट साक्षात्कार पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियम एवं शर्त्ते

1. साक्षात्कार पत्र प्राप्त नही होने पर ऐसे अभ्यर्थी यह जॉच लें कि उनका फार्म स्वीकृत किया गया है या नहीं ।

2. .तिथिवार अभ्यर्थी की सूची में वे अपना नाम, पिता का नाम,आरक्षण की कोटि, साक्षात्कार की तिथि एवं कमांक को नोट कर लें एवं यहॉ प्रदर्शित डुप्लिकेट साक्षात्कार पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर अपना सम्पूर्ण विवरण इसमें स्वयं भरे।

3. प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर अपना स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ चिपकायें तथा डुप्लिकेट साक्षात्कार प्रारूप पत्र के साथ अपना फोटो परिचय पत्र लेकर निर्धारित तिथि को सुबह आठ बजे साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

4. कार्यालय द्वारा के सत्यापन उपरांत ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति प्रदान किये जाने पर वे साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे।

निर्देशानुसार

प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, पाकुड़।